



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
बेला कोठी, रामकृष्ण आश्रम रोड, बेला, मुजफ्फरपुर ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ(80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता :- जन निर्माण केन्द्र,
न्यू पुलिस लाईन चौक,
कोल्हुआ पैगम्बरपुर,
दादर, बैरिया, मुजफ्फरपुर ।

स्थायी लेखा संख्या :- AAAAJ9270G

आदेश की तिथि :- 21-07-2011

उपरोक्त संस्था को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते उसकी कुल प्राप्ति विगत वर्ष में 10 लाख रु० या उससे कम हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो :-

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति कब से मान्य है, स्पष्ट लिखा हो ।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये ।
3. यह कर मुक्ति निर्धारण वर्ष 2011-12 से मान्य है परन्तु अगर किसी वित्तीय वर्ष में संस्था की कुल प्राप्ति 10 लाख रु० से अधिक हो तब यह आदेश मान्य नहीं होगा ।

रजिस्टर कम संख्या - 50/2011-12 /

ह०

(एस०डी० झा)

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

सं०सं० - आ०आ०/मुज०/तक०/80G/2011-12/ 1497-99
दिनांक, मुजफ्फरपुर, 21वीं जुलाई 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 1, मुजफ्फरपुर
2. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल - 1, मुजफ्फरपुर उपरोक्त संस्था के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच करें जो कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा०सं००३०/2/59/आई०टी०ए० दिनांक 09.10.1972 एवं आदेश संख्या 63/फा०सं०३६७/175/47/70/आई०टी०/ए० दिनांक 09-10-1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे। जांच रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित अपने परिक्षेत्र के अपर आयकर आयुक्त के माध्यम से इस कार्यालय को भेज दें ।
3. श्रीमान् सचिव जन निर्माण केन्द्र को संस्था के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ(80G) के अधीन मान्यता-नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत किया गया था । अतः संस्था को कर मुक्ति की मान्यता निर्धारण वर्ष 2011-12 से प्रदान की जाती है ।



(बी०के० सिन्हा)

आयकर अधिकारी (तक०),

कृते : आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।